न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 101/2021

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. हरदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरजीत कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरप्रीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. करम सिंह पुत्र जीता सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. जगदेव सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगरूप सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. धनतर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 6. बोहड सिंह पुत्र जीता सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 7. महिन्द्र सिंह पुत्र जीता सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजवन्त सिंह पुत्र जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 10. राजवीर सिंह पुत्र धनतर सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 11. सुखदेव सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 12. सरूप सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 13. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 14. बिकर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 15. रेशम सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। 16. तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 06.10.2021

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांक: [illegible]23

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक [illegible] 77 के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 4,5,6,7,26,74,74/1 की कुल 19.5[illegible] हेक्टैयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/41 के मुरब्बा नम्बर 4,6,26 की कुल 1.770 हेक्टैयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। दोनो खातो में वादीगण के [illegible] कुल 3.792 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त दोनों संयुक्त खातो की कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए घरू बंटवारानामा कर रखा है। घरू बंटवारा के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

वादीगण के हिस्सा में खाता संख्या 3 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम-सालम, किला नम्बर 7 ता 10 सालम-सालम, किला नम्बर 11 ता 14 सालम-सालम तथा किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक 15-15 बिस्वा कुल 15 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर वादीगण का कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाने के लिए अत्यधिक मेहनत व खर्चा करके भूमि को सुधारा व संवारा है। प्रश्नगत भूमि का विधिवत किलावाईज बंटवारा नहीं होने के कारण वादीगण सरकार द्वारा दी जाने वाली सहूलियतों व लाभों से वंचित है। उक्त भूमि यदि वादीगण के नाम दर्ज नहीं की जाती तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। वादीगण ने कई मर्तबा तमाम खातेदारों से कहा कि उक्त खाता की भूमि का कब्जानुसार विधिवत विभाजन करवाकर किलावाईज भूमि अपने-अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेवे। प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। आज से करीब दस दिन पूर्व प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राध्किार व श्रवणाधिकार का है। वाद-पत्र पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के भीतर पेश किया जा रहा है। अतः वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 20 एच के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम-सालम, किला नम्बर 7 ता 10 सालम-सालम, किला नम्बर 11 ता 14 सालम-सालम तथा किला नम्बर 17 ता 20 प्रत्येक 15-15 बिस्वा कुल 15 बीघा भूमि का खाता व लगान वादीगण के नाम अलग से कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 4,5,6,7,26,74,74/1 की कुल 19.557 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 35/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 26 की कुल 1.770 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 3.792 हैक्टर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किए जाने की इस्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 20 एच, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 4,5,6,7,26,74,74/1 की कुल 19.557 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 35/41 के मुरब्बा नम्बर 4, 6, 26 की कुल 1.770 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 3.792 हेक्टर भूमिका बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हरदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.768 हैक्टेयर)	20 एच	6	11 ता 14 17 18 19 20	1.012 हैक्टेयर 0.189 हैक्टेयर 0.189 हैक्टेयर 0.189 हैक्टेयर 0.189 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	9.00 1.68 1.68 1.68 1.68
2	हरजीत कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.012 हैक्टेयर)	20 एच	6	7 ता 10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
3	हरप्रीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.012 हैक्टेयर)	20 एच	6	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:22 IST
Reason: SelfAttested